राजस्थान सरकार

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

अधिकारी :– बन्शी धर योगी आर०ए०एस०

संख्या – 95/2024 प्रा०प०

मधु S/o एलोडिक मीना नि० उमरवास – करेडा बरेड

बनाम

विपक्ष S/o पन्ना जाट नि० करेडा – करेडा मालवा – करे०

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश :: दिनांक 12/6/24

र्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०राज०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत न किया कि ग्राम कचरिया पटवार हल्का कचरिया तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खाता संख्या 246 आराजी नम्बर 1985/42, 40, 42, ... कुलकिता 3 रकबा 3.9077 हैक्टेयर भूमि । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन बंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की के आदेश प्रदान कराये जावे।

स्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21/3/24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को नार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते र्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम .... कचरिया पटवार हल्का कचरिया तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या राजी नम्बर 1985/42, 40, 42, ... कुलकिता 3 रकबा 3.9077 हैक्टेयर भूमि तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक. करेड़ा को 1150/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर .... की मौजूदगी में मौके व की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को .... पत्थरगढी की जावें। फसल होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.06.21 15:49:12 IST
Reason: SelfAttested

:– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार गढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा